ग्यासी बनाम राजस्थान सरकार
अपील संख्या 101/2019

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर०ए०एस०)

अपील संख्या : 101/2019

ग्यासी पुत्र धरम जाति गुर्जर निवासी बन्ध बरैठा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

अपीलान्टान

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना

रैस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 30.09.2019 तहसीलदार बयाना पत्रावली संख्या 41/2019 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम ग्यासी अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :— 1. श्री हेमराज शर्मा, अभिभाषक अपीलान्टान
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 31.12.2020

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 30.09.2019 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट को अतिक्रमी आराजी खसरा नम्बर 3413 रकवा 0.06 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता से बेदखल कर पैनल्टी एवं 90 दिवस की सिविल कारावास की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण काविल खारिजी के है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि विवादित भूखण्ड से अपीलान्ट की खातेदारी का रकवा लगा हुआ है तथा उसका कब्जा अपनी भूमि पर है। विवादित आराजी की नाप कर अपीलान्ट को बताया जावे तो सरकारी भूमि के हिस्से को अपीलान्ट छोडने के लिये तैयार है। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट अंदाज से व गलत कर दी है एवं रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट नहीं है कि किस खसरा नम्बर पर कितने रकवे पर अतिक्रमण है। अपीलान्ट के खेत के सामने 50 फुट चौडी सडक बनी हुई है जिस पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि ग्रामीण रास्ते पर यदि कोई अतिक्रमण है तो उसे साफ कराने का अधिकार ग्राम पंचायत को है तहसीलदार को नहीं। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया है और न ही कोई सुनवाई का अवसर दिया गया है। इकतरफा में अपीलान्ट की बैंक पर कार्यवाही की गई है जो प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के खिलाफ है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि पश्चातवर्ती अतिकमी मानकर सजा करने में कानूनी भूल की है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश का पता अपीलान्ट को दिनांक 04.12.2019 को लगा। अपीलान्ट ने दिनांक 05.12.2019 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया एवं उसी दिन नकल प्राप्त की। नकल प्राप्ति दिनांक से अन्दर म्याद अपील पेश की है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार बयाना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2019 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2019 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष के कथनों पर गौर किया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2019 के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 3413 रकवा 0.06 है0 में से 0.04 है0 ग्राम बन्ध बरैठा किस्म गैर मुमकिन रास्ता में पुख्ता मकान अतिक्रमण किये जाने पर अपीलान्ट को बेदखल एवं पैनल्टी तथा 90 दिवस की सिविल करावास के दण्ड से दण्डित किये जाने की आज्ञा पारित की गई है। चूंकि विवादित आराजी की किस्म गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलान्ट विवादित आराजी पर अतिक्रमी है। तहसीलदार बयाना द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। अतः अपील काबिल खारिजी के रहती है।

अतः आदेश है किः—

उपरोक्त विवेचनानुसार आपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दि. 31.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर (राज.)